

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फर्मेशन रिव्यू



खण्ड XV | अंक 9 | मार्च 2020



एमसीआईआर



विषयवस्तु

खंड

खंड	पृष्ठ
I. मौद्रिक नीति	1
II. विनियमन	2
III. वित्तीय बाज़ार विनियमन	3
IV. विदेशी मुद्रा प्रबंधन	4
V. सरकार के लिए बैंकर	4
VI. भुगतान और निपटान प्रणाली	4



संपादक से नोट

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिजर्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका मार्च माह में धन और ऋण की दुनिया में रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए नए विकासात्मक और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को <https://mcir.rbi.org.in> के साथ-साथ क्यूआर कोड स्कैन करके भी एकसेस किया जा सकता है।

संचार के इस माध्यम से हम तथ्यात्मक सटीकता और सूचना के प्रसार में स्थिरता सुनिश्चित करते हुए सूचनाओं को साझा करने और संपर्क में बने रहने का लक्ष्य रखते हैं।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

सातवाँ द्वि-मासिक मौद्रिक नीति : गवर्नर का वक्तव्य

COVID-19 महामारी के मद्देनजर, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 31 मार्च, 1 और 3 अप्रैल 2020 के लिए निर्धारित अपनी बैठक को अग्रिम रूप से 24, 26 और 27 मार्च 2020 को आयोजित किया। एमपीसी ने विद्यमान और उभरती व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थितियों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन और संभावनाओं का पता लगाया। व्यापक चर्चा के बाद, एमपीसी ने यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे और विकास को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक मौद्रिक नीति के आक्रामक रूख को बनाए रखते हुए, COVID-19 के प्रभाव को कम करने के लिए पॉलिसी रेपो दर में एक बड़ी कटौती के लिए सर्व सम्मति से मतदान किया। जबकि कमी की मात्रा में कुछ अंतर था, एमपीसी ने 4-2 बहुमत के साथ नीतिगत दर को 75 आधार अंकों से घटाकर 4.4 प्रतिशत कर दिया।

इसके साथ ही, स्थिर दर रिवर्स रेपो रेट, जो चल निधि समायोजन सुविधा (एलएफ) कॉरिडोर के आधार को निर्धारित करता है, को 90 आधार अंक से घटाकर 4.0 फीसदी कर दिया गया, जिससे एक असिमेट्रिक कॉरिडोर बना। रिवर्स रेपो दर से संबंधित इस उपाय का उद्देश्य बैंकों को रिजर्व बैंक के साथ निधियों को निष्क्रिय रूप से जमा करने के लिए अपेक्षाकृत अनार्कशिक बनाते हुए इन निधियों का उपयोग अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को उधार देने के लिए प्रोत्साहित करने का है। यह स्मरण दिलाया जा सकता है कि मार्च 2020 माह के दौरान बैंकों द्वारा अब तक डैनिक औसत आधार पर ₹ 3 लाख करोड़ रिवर्स रेपो के तहत रखे गए हैं जब कि बैंक ऋण वृद्धि लगातार धीमी रही है।

यह निर्णय और इसका कार्यान्वयन कोरोना वायरस के बिनाशकारी बल के कारण हुआ है। इसका उद्देश्य (क) वायरस के नकारात्मक प्रभावों को कम करना; (ख) विकास को पुनर्जीवित करना और सबसे महत्वपूर्ण (ग) वित्तीय स्थिरता को संरक्षित करने का है।

चलनिधि प्रबंधन

i) लक्ष्य किए गए दीर्घावधि रेपो परिचालन

आर्थिक गतिविधियों पर COVID-19 के प्रतिकूल प्रभावों, जिससे नकदी प्रभावों पर दबाव पड़ता है, को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ने यह निर्णय लिया कि उपयुक्त आकार के लक्ष्य किए गए तीन वर्ष तक के सावधि रेपो की नीलामियाँ करेगा जिसकी कुल राशि 1,00,000 करोड़ रुपए होगी और जो नीतिगत रेपो दर से जुड़ी फ्लोटिंग दर पर आधारित होगी।

ii) नकदी प्रारक्षित अनुपात

COVID-19 से उत्पन्न बाधाओं के कारण तंगहाली में पड़े बैंकों की एकबारगी सहायता के लिए रिजर्व बैंक ने यह निर्णय लिया कि सभी बैंकों के लिए नकदी प्रारक्षित निधि (सीआरआर) को 28 मार्च 2020 को प्रारंभ रिपोटिंग पखवाड़े से 100 आधार अंक कम कर के निवल मांग और मियादी देयताओं (एनडीटीएल) का 3.0 प्रतिशत कर दिया जाए।

iii) सीमांत स्थायी सुविधा

घरेलू वित्तीय बाज़ार में अपवाद रूप से अत्यधिक अस्थिरता के मद्देनजर, रिजर्व बैंक ने यह निर्णय लिया कि सीमांत स्थायी सुविधा(एलएसएफ) के 2 प्रतिशत की सीमा को तत्काल प्रभाव से 3 प्रतिशत किया जाए जो 30 जून 2020 तक लागू रहेगी।

iv) मौद्रिक नीति दर के कॉरिडॉर को बढ़ाना

लगातार बनी हुई अधिशेष चलनिधि की स्थिति में रिजर्व बैंक ने यह निर्णय लिया कि वर्तमान नीतिगत कॉरिडॉर को 50 आधार अंक से बढ़ा कर 65 आधार अंक कर दिया जाए। इस नए कॉरिडॉर के अंतर्गत चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएफ) के अंतर्गत प्रतिवर्ती रेपो दर 40 आधार अंक होगी जो नीतिगत रेपो दर से कम होगी। सीमांत स्थायी सुविधा (एलएसएफ) 25 आधार अंक पर नीतिगत रेपो दर से अधिक बनी रहेगी।

विकासात्मक और विनियामकीय उपायों

i) मीयादी ऋणों का स्थगन

सभी वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक सहित), सहकारी बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (आवास वित्त कंपनी तथा माइक्रो वित्त कंपनी सहित) (“उधारदाता संस्थाएं”) को अनुमति दी जाती है कि वे 1 मार्च 2020 को बकाया सभी मीयादी ऋणों पर किश्तों के भुगतान पर तीन महीने के स्थगन की अनुमति प्रदान करें।

ii) कार्यशील पूँजी सुविधा पर ब्याज आस्थगित करना

उधार देने वाली संस्थाओं को यह अनुमति दी जाती है कि कार्यशील पूँजी सुविधा के रूप में उनके द्वारा स्वीकृत कैश क्रेडिट / ओवरड्राफ्ट के संबंध में 1 मार्च 2020 को बकाया ऐसी सभी सुविधाओं के लिए ब्याज के भुगतान की तारीख तीन महीने के लिए आगे बढ़ा दें। इस अवधि के लिए संचित ब्याज का भुगतान आस्थगित अवधि की समाप्ति पर किया जाएगा।

iii) कार्यशील पूँजी के वित्तपोषण को आसान बनाना

कैश क्रेडिट / ओवरड्राफ्ट के रूप में स्वीकृत कार्यशील पूँजी सुविधा के संबंध में उधारदाता संस्थाएं आहरण-शक्ति की पुनःगणना मार्जिन कम करते हुए और/अथवा उधारकर्ता के लिए कार्यशील पूँजी के चक्र का पुनर्मूल्यांकन करते हुए करें। COVID-19 से उत्पन्न आर्थिक संकट से निपटने के लिए उधारकर्ताओं को क्रेडिट शर्तों में बदलाव करने हेतु दी गई अनुमति से आस्तियों का वर्गीकरण निम्न श्रेणी में नहीं किया जाएगा।

iv) निवल स्थायी वित्तपोषण अनुपात के कार्यान्वयन को स्थगित करना

रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल 2020 से 1 अक्टूबर 2020 तक छह महीने तक निवल स्थायी वित्तपोषण अनुपात (एनएसएफआर) के कार्यान्वयन को स्थगित करने का निर्णय लिया है।

v) पूँजी संरक्षण बफर

COVID-19 के कारण संभावित तनाव को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि सीसीबी के 0.625 प्रतिशत के अंतिम ट्रैच के कार्यान्वयन को 31 मार्च 2020 से आगे 30 सितंबर 2020 तक स्थगित किया जाए।

vi) ऑफशोर गैर-सुपुर्दु रुपया डेरिवेटिव बाजार

रिज़र्व बैंक ने सरकार के परामर्श से, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) बैंकिंग इकाइयों (आईबीयू) को परिचालित करने वाले भारत में बैंकों को 1 जून 2020 से एनडीएफ बाजार में भाग लेने की अनुमति प्रदान की। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ [क्लिक](#) करें।

II. विनियम

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का समामेलन

रिज़र्व बैंक ने 28 मार्च 2020 को अधिसूचित किया कि :

□ भारत सरकार द्वारा इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक योजना, 2020 में 4 मार्च 2020 को जारी समामेलन के परिणामस्वरूप, इलाहाबाद बैंक की सभी शाखाएं 1 अप्रैल 2020 से इंडियन बैंक की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।

□ भारत सरकार द्वारा आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया योजना, 2020 में 4 मार्च 2020 को जारी समामेलन के परिणामस्वरूप, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक की सभी शाखाएं

1 अप्रैल 2020 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंक की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।

□ भारत सरकार द्वारा ऑरिएंटल बैंक ऑफ कॉर्मस और युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नैशनल बैंक योजना, 2020 में 4 मार्च 2020 को जारी समामेलन के परिणामस्वरूप, ऑरिएंटल बैंक ऑफ कॉर्मस और युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की सभी शाखाएं 1 अप्रैल 2020 से पंजाब नैशनल बैंक की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।

□ भारत सरकार द्वारा सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक योजना, 2020 में 4 मार्च 2020 को जारी समामेलन, के परिणामस्वरूप, सिंडिकेट बैंक की सभी शाखाएं 1 अप्रैल 2020 से कैनरा बैंक की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।

COVID 19: विनियामक पैकेज

रिज़र्व बैंक ने COVID-19 महामारी से उत्पन्न व्यवधानों के कारण कर्ज़ सेवाओं के बोझ को कम करने के लिए कुछ विनियामक उपाय किए हैं:

i) भुगतान का पुनर्निर्धारण

सभी मियादी ऋणों के संबंध में, सभी वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को 01 मार्च 2020 और 31 मई 2020 के बीच देय सभी किश्तों के भुगतान पर तीन महीने का स्थगन प्रदान करने की अनुमति दी गई है।

ii) कार्यशील पूँजी वित्तपोषण को आसान बनाना

COVID-19 से उत्पन्न आर्थिक संकट से निपटने के लिए उधारकर्ताओं को कैश क्रेडिट / ओवरड्राफ्ट के रूप में स्वीकृत कार्यशील पूँजी सुविधा के संबंध में, उधारदाता संस्थाएं आहरण-शक्ति की पुनःगणना मार्जिन कम करते हुए और/अथवा कार्यशील पूँजी के चक्र का पुनर्मूल्यांकन करते हुए करें। अन्य उपायों में, विशेष उल्लेख खाता और अनर्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकरण, मीयादी ऋण का आस्ति वर्गीकरण, ब्याज सहित मीयादी ऋण का पुनर्निर्धारण और राहत उपायों को प्रदान करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां शामिल हैं। अधिक पढ़ने के लिए कृपया यहाँ [क्लिक](#) करें।

बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क

रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में कि क्या बड़े एक्सपोजर पर दिशा-निर्देश भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति के लिए एक्सपोजर पर लागू होंगे, पर 23 मार्च 2020 को स्पष्ट किया कि यह खंड भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को प्रदान गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाओं पर भी लागू होगा। अधिक पढ़ने के लिए कृपया यहाँ [क्लिक](#) करें।

लघु वित्त बैंकों को लाइसेंस प्रदान करना

रिज़र्व बैंक ने वर्तमान लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के साथ “मांग पर लाइसेंस प्रदान करने संबंधी दिशानिर्देश” के तहत लाइसेंस प्रदान किए जाने वाले नए एसएफबी के लिए अनुदेशों को संगत बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है कि:

■ सभी वर्तमान एसएफबी को रिज़र्व बैंक के ‘बैंक रहित ग्रामीण केंद्र’ मानदंड का अनुपालन करते हुए बैंकिंग आउटलेट खोलने की सामान्य अनुमति प्रदान करना;

■ एसएफबी के कारोबार शुरू होने के तीन वर्ष बाद ऐसी गैर-जोखिम साझा करने वाली सरल वित्तीय सेवा गतिविधियों के लिए, जिसे स्वयं के फंड की कोई प्रतिबद्धता नहीं होती है, सभी मौजूदा एसएफबी को रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति लेने से छूट दी जाए। रिज़र्व बैंक ने मौजूदा एसएफबी के लिए स्पष्टीकरण भी जारी किया। विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ [क्लिक](#) करें।

एकल और समूह उधारकर्ताओं/पार्टियों के लिए ऋण जोखिम (एक्सपोजर) और बड़े एक्सपोजर

रिज़र्व बैंक ने 13 मार्च 2020 को एकल और समूह उधारकर्ताओं/पार्टियों के लिए ऋण जोखिम(एक्सपोजर) और बड़े एक्सपोजर की सीमा पर दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया और शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के लिए लक्ष्य को संशोधित किया। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणी के बाद दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया। विस्तृत दिशा-निर्देश पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ [क्लिक](#) करें।

भारतीय लेखा मानकों(आईएनडीएस) का कार्यान्वयन

रिज़र्व बैंक ने उच्च गुणवत्ता के अनुरूप कार्यान्वयन को बढ़ावा देने और तुलनात्मक तथा बेहतर पर्यवेक्षण की सुविधा के उद्देश्य से, 13 मार्च 2020 को भारतीय लेखा मानकों (आईएनडीएस) पर मसौदा विनियामक निदेश अपनी वेबसाइट पर रखा। विनियामक निदेश वित्तीय वर्ष 2019–20 से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए कार्यान्वित भारतीय लेखा मानक पर लागू होगा। अधिक पढ़ने के लिए यहाँ [क्लिक](#) करें।

परिचालन और कारोबार निरंतरता उपाय

रिज़र्व बैंक ने 16 मार्च 2020 को COVID-19 महामारी के बीच परिचालन और कारोबार की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए बैंकों / वित्तीय संस्थानों को निम्नलिखित कदम उठाने के लिए सूचित किया:

■ संगठन के भीतर रोग के प्रसार के विषय में एक कार्यनीति और निगरानी तंत्र तैयार करें और संक्रमित कर्मचारियों का पता लगाने के मामले में आगे प्रसार को रोकने के लिए समय पर हस्तक्षेप सुनिश्चित करें। इसमें यात्रा योजना और कारंटाइन आवश्यकताओं के साथ-साथ कर्मचारियों और जनता के बीच घबराहट फैलने से बचना शामिल है;

■ संक्रामण के व्यक्तिगत मामले अथवा उपचारात्मक उपाय की वजह से अनुपस्थिति के कारण महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में निरंतरता और सेवाओं में किसी भी बाधा को रोकने के उद्देश्य से किसी उभरती हुई स्थितियों/ परिस्थितियों में महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं और कारोबार निरंतरता उपाय की समीक्षा करना;

■ समय-समय पर स्वास्थ्य प्राधिकारियों से प्राप्त निर्देशों के आधार पर, बेहतर प्रतिक्रिया और भागीदारी के लिए सभी स्तरों पर कर्मचारियों के साथ महत्वपूर्ण अनुदेशों/ कार्यनीति साझा करने और संदिध मामलों में निवारक उपायों / उठाए जाने वाले कदमों के बारे में उन्हें सुग्राही बनाने के लिए कदम उठाएं;

■ जहां तक संभव हो सके ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें;

■ व्यावसायिक प्रक्रिया के लचीलेपन को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए इन कदमों के अलावा, रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षित संस्थाओं को अपने तुलन-पत्र, परिसंपत्ति गुणवत्ता और तरलता पर COVID-19 महामारी के प्रभाव का आकलन करने हेतु सूचित किया गया है जो संभावित परिदृश्यों जैसे भारत में महामारी के और अधिक फैलने और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के कारण उत्पन्न हो रहा है। उन्हें वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक वित्तीय प्रणाली में व्यापक व्यवधान पर संक्रमण के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए भी कहा गया है। अधिक पढ़ने के लिए यहाँ [क्लिक](#) करें।

बासल III पूंजी विनियमन

रिज़र्व बैंक ने 27 मार्च 2020 को पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के 0.625 प्रतिशत की अंतिम ट्रांच के कार्यान्वयन को 31 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 तक स्थगित कर दिया। तदनुसार, 31 मार्च 2018 से लागू [बेसल III पूंजी विनियमन संबंधी मास्टर परिपत्र](#) में उल्लिखित न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपात भी 31 मार्च 2020 से अगले छह महीने की अवधि के लिए लागू होगा, जब तक कि 30 सितंबर 2020 को सीसीबी 2.5 प्रतिशत का स्तर प्राप्त नहीं कर लेता। इसके अलावा, अतिरिक्त टियर 1 लिखतों के रूपांतरण / राइट-डाउन के माध्यम से नुकसान के अवशोषण के लिए पूर्व-निर्दिष्ट ट्रियर जोखिम भारित परिसंपत्तियों (आरडब्ल्यूए) के 5.5 प्रतिशत पर रहेगा और 30 सितंबर 2020 को आरडब्ल्यूए के 6.125 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। हालाँकि, पूंजी पर्यासता फ्रेमवर्क (एनसीएफ) को 31 मार्च 2017 तक विनियामक समायोजन / कटौती के लिए बेसल III संक्रमण अवधि के दौरान संदर्भ के रूप में देखा जा सकता है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ [क्लिक](#) करें।

III. वित्तीय बाजार विनियमन

गैर-निवासियों द्वारा निवेश के लिए एफएआर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से ‘कुली एक्सेसिबल रूट’ (एफएआर) नामक एक अलग चैनल की शुरूआत की, ताकि गैर-निवासियों को 30 मार्च 2020 को निर्दिष्ट भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में निवेश करने में सक्षम बनाया जा सके। योग्य निवेशक बिना किसी निवेश सीमा के अधीन निर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं। यह योजना दो मौजूदा मार्गों अर्थात् मध्यम अवधि फ्रेमवर्क (एमटीएफ) और स्वैच्छिक अवधारण मार्ग (वीआरआर) से संचालित होगी। विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ [क्लिक](#) करें।

IV. विदेशी मुद्रा प्रबंधन

एफपीआई – निवेश सीमा

रिजर्व बैंक ने 30 मार्च 2020 को कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) की सीमा को बढ़ाकर 2020-21 के लिए बकाया स्टॉक का 15 प्रतिशत कर दिया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों (जी-सेक) और राज्य विकास क्रण (एसडीएल) में एफपीआई निवेश की संशोधित सीमा की सूचना अलग से दी जाएगी। वर्तमान सीमाएँ तब तक लागू रहेंगी जब तक संशोधित सीमाएँ अधिसूचित नहीं हो जातीं। विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ [क्लिक](#) करें।

V. सरकार के लिए बैंकर

केंद्र सरकार का लेन-देन

रिजर्व बैंक ने 17 मार्च 2020 को प्राप्त करनेवाली शाखाएँ जो स्थानीय रूप से स्थित नहीं हैं को सूचित किया कि वो चालान/स्क्रोल्स आदि को नोडल/फोकल प्लाइंट शाखाओं को भेजने के लिए विशेष व्यवस्था जैसे कि कूरियर सेवा आदि अपनाएं ताकि सरकार की ओर से मार्च की समाप्ति पर किए गए सभी भुगतानों और संग्रहणों को उसी वित्तीय वर्ष के लिए गिना जा सके। भारत सरकार के निर्णय कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए मार्च 2020 के महीने के लिए शेष लेन-देनों को बंद करने की तिथि 10 अप्रैल 2020 निर्धारित की जाए, के मद्देनजर बैंकों को उक्त प्रकार से सूचित किया गया था। अधिक पढ़ने के लिए यहाँ [क्लिक](#) करें।

विशेष समाशोधन परिचालन

रिजर्व बैंक ने 31 मार्च 2020 को देश भर के सभी समाशोधन गृहों में चालू वित्त वर्ष के लिए विशेष रूप से सरकारी चेक के लिए विशेष समाशोधन परिचालन का आयोजन किया। सदस्य बैंकों को सूचित किया गया कि वे विशेष समाशोधन घंटे के दौरान अपने आवक समाशोधन प्रसंस्करण अवसंरचना को खुला रखें और विशेष समाशोधन से उत्पन्न निपटान दायित्वों को पूरा करने के लिए अपने समाशोधन निपटान खाते में पर्याप्त शेष राशि बनाए रखें। अधिक पढ़ने के लिए यहाँ [क्लिक](#) करें।

वार्षिक लेखांकन के लिए विशेष उपाय

रिजर्व बैंक ने COVID-19 स्थिति से निपटने के लिए देश भर में अभूतपूर्व स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकारी लेन-देन की रिपोर्टिंग और लेखांकन के लिए निम्नलिखित विशेष उपाय तैयार किए हैं:

- सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे 31 मार्च 2020 को सामान्य कामकाज के समय तक सरकारी लेन-देन से संबंधित काउंटर लेन-देन के लिए अपनी निर्दिष्ट शाखाएं खुली रखें।
- तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली के माध्यम से सरकारी लेन-देन 31 मार्च 2020 को विस्तारित समय के लिए

परिचालित किए गए। 31 मार्च 2020 को 2400 घंटे तक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) के माध्यम से लेन-देन जारी रखा गया।

□ 31 मार्च 2020 को सरकारी चेक के संग्रहण के लिए विशेष समाशोधन का आयोजन किया गया।

□ 31 मार्च 2020 को रिपोर्टिंग बिंडो को विस्तारित किया गया और 01 अप्रैल 2020 को रिजर्व बैंक को केंद्र और राज्य सरकार के लेन-देन की रिपोर्टिंग के लिए 1200 बजे तक खुला रखा गया, जिसमें जीएसटी अपलोड करना / सामान की ई-रसीद दर्ज करना भी शामिल था।

□ एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे ऊपर दिए गए विशेष प्रबंधों का पर्याप्त प्रचार करें।

विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ [क्लिक](#) करें।

VI. भुगतान एवं निपटान प्रणाली

भुगतान एग्रीगेटर्स और गेटवे

रिजर्व बैंक ने 17 मार्च 2020 को भुगतान एग्रीगेटर्स की गतिविधियों को पूरी तरह से विनियमित करने और भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 18 के तहत विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार आधारभूत प्रौद्योगिकी से संबंधित सिफारिशें प्रदान करने का निर्णय लिया। उक्त दिशानिर्देश 01 अप्रैल 2020 से लागू होंगे। विस्तृत दिशा-निर्देश और प्रौद्योगिकी-संबंधी सिफारिशें यहाँ [क्लिक](#) करके पढ़ी जा सकती हैं।

मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फोर्मेशन रिव्यू के विषय में स्वामित्व और अन्य विवरणों का व्योग

प्रॉफेर्म IV

प्रकाशन का स्थान :	मुंबई
प्रकाशन की अवधि	मासिक
संपादक, प्रकाशक और	योगेश दयाल
प्रिंटर का नाम,	भारतीय
राष्ट्रीयता और पता:	भारतीय रिजर्व बैंक
	संचार विभाग
	केन्द्रीय कार्यालय
	शहीद भगत सिंह मार्ग
	मुंबई 400001
समाचार पत्र का स्वामित्व	भारतीय रिजर्व बैंक
रखने वाले व्यक्तियों के नाम	संचार विभाग
	केन्द्रीय कार्यालय
	शहीद भगत सिंह मार्ग
	मुंबई 400001

मैं, योगेश दयाल, एतद्वारा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं।

ह/-

योगेश दयाल

प्रकाशक के हस्ताक्षर

1 मार्च 2020